कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जौनपुर।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

पत्र संख्याः एफएस/उ0शि0–एनओसी/2018 दिनांकः 03–11–2018

प्रमाणित किया जाता है कि, मेसर्स **उमा बैजन्ती पब्लिक स्कूल** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **शाहपुर, बदलापुर, जनपद–जौनपुर** जिसमें तलों की संख्या **भूतल, प्रथम तल** एवं बेसमेन्ट की संख्या **निल** है, जिसकी ऊँचाई **07.20 मीटर** तथा प्लाट एरिया **3693.60 वर्ग मीटर** है। भवन का अधिभोग **उमा बैजन्ती पब्लिक स्कूल** (भवन स्वामी/अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाऐं एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका **निरीक्षण** मुख्य अग्निशमन अधिकारी **आर0पी0राय** द्वारा दिनांक 02–11–2018 को भवन स्वामी **श्री सुनील** चतुर्वेदी के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानक के अनुसार यथास्थिति में पाया गया अन्य अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाऐं वांछनीय है। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **शैक्षणिक** के अन्तर्गत वैधता तिथि **03–11–2018 से 02–11–2021** तक 03 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आप की होगी।

संलग्नकः यथोपरि 01 वर्क।

दिनांकः नवम्बर 02 ,2018

स्थान– जौनपुर।

(आर0पी0राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जौनपुर।

भवन का ढाँचागत विवरणः–

1. प्रश्नगत भवन भूतल तथा प्रथम तल तक निर्मित है। प्रस्तुत मानचित्र में भूतल का कुल कवर्ड एरिया **829.92 वर्ग मीटर** तथा प्रथम तल का कवर्ड एरिया **639.95 वर्ग मीटर** प्रदर्शित है।
2. प्रश्नगत भवन की अधिकतम ऊँचाई 07.20 मीटर है जो बहुमंजिली भवनों के अन्तर्गत परिभाषित नही है।

उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था व सुझावः–

1. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण फायर एक्सटिंग्यूशर्स उपलब्ध पाये गये।
2. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में फायर स्टेशन जौनपुर का टेलीफोन नम्बर 05452–269999, 9454418612 व 101 अंकित किया जाय।
3. प्रश्नगत शैक्षिक भवन के भूतल के अतिरिक्त उपरी तलों का शैक्षणिक कार्य हेतु प्रयोग, एन0बी0सी0–2016 के पार्ट–4 लाइफ एण्ड फायर सेफ्टी मानक के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था 03 माह में स्थापित कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्रश्नगत शैक्षिक भवन प्रबन्धन को फायर एक्सटिंग्यूशर के संचालन की जानकारी दी गयी।
5. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में स्थापित विद्युत व्यवस्थापन का परीक्षण विद्युत सुरक्षा विभाग से कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. भवन के ढाँचागत संरचना की सुदृढ़ता का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
7. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में प्रदर्शित ढाँचागत संरचना में अतिरिक्त निर्माण कार्य किया जाता है तो उसकी अनुमति/सूचना अग्निशमन विभाग से लेना अनिवार्य होगा। ढाँचागत परिवर्तन बिना अनुमति/सूचना के करने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार **उमा बैजन्ती पब्लिक स्कूल, शाहपुर, बदलापुर, जौनपुर** को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता हैः–

1. विद्यालय भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय।
3. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
4. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाय तथा इमरजेन्सी इवेक्यूवेशन प्लान बनाया जाय। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाय।
5. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
6. भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी की होगी।
7. विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
8. विद्यालय में मीड डे मिल/कैन्टीन आदि भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टिन सेड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जाय।
9. विद्यालय भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है उन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को न बैठाया जाय।
10. प्रबन्धन द्वारा स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्रत्येक वर्ष टेस्टिंग रिफिलिंग कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर अग्निशमन विभाग से निरीक्षण परीक्षण कराकर नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।
11. उक्त शर्तो/निर्देशो का उल्लंघन होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः आवेदक को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन कर विद्यालय भवन में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स का अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर व विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक होगा। प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम के अकार्यशील पाये जाने व नवीनीकरण न कराये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की स्वयं होगी।

दिनांकः नवम्बर 03 ,2018

(आर0पी0 राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जौनपुर।